



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 49342 सन् 2025

कपिल वर्मा एवं अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक तिवारी, अनुराग कुमार शर्मा, गौरव द्विवेदी, गोपाल चतुर्वेदी, मृदुल मेहर, प्रियांक सिंह, सन्तोष कुमार सिंह, उल्लास मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., प्रशांत यादव, राजीव कुमार

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नन्द प्रभा शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदकों द्वारा इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि जनपद गाजियाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II के न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 2730 वर्ष 2024 (पुराना आपराधिक वाद संख्या 1314 वर्ष 2021) (राज्य बनाम कपिल वर्मा एवं अन्य), अपराध संख्या 1981 वर्ष 2019, धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा डी.पी. एक्ट की धारा 3/4, थाना कवि नगर, जनपद गाजियाबाद की संपूर्ण कार्यवाही को, साथ ही दिनांक 19.07.2020 की आक्षेपित आरोप-पत्र तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद गाजियाबाद द्वारा दिनांक 13.01.2021 को पारित आक्षेपित संज्ञान आदेश को, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकार दिनांक 18.09.2024 के समझौते (आवेदन के संलग्नक संख्या 4) के सत्यापन हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त समझौता विधिवत् सत्यापित किया गया तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 10.07.2026 को आख्या अग्रेषित की गई।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान विवाद आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 के मध्य व्यक्तिगत मतभेद से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया है कि विपक्षी संख्या 2 संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे चलाने में इच्छुक नहीं है और, अतः, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त किया जाए तथा वे प्रतिशपथ-पत्र और प्रत्युत्तर प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।
5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार किया है और कहा है कि यदि आवेदकों के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों की शुद्धता पर विवाद नहीं करते हैं।
7. माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 4 एस.सी.सी. 675 में दिए गए निर्णय के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 482 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) तथा आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, जहाँ पक्षकारों के मध्य वास्तविक समझौता हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 320 सी.आर.पी.सी., जो शमनीय अपराधों को सूचीबद्ध करती है, इस शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है और इस शक्ति का प्रयोग सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने तथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही अपराध अन्यथा अशमनीय हों।



8. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी वाद को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्पष्ट रूप से स्थापित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ के अपने निर्णय **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य**, (2012); 10 एस.सी.सी. 303 में यह अभिनिर्धारित किया है कि *"लेकिन वे आपराधिक मामले, जिनमें सिविल प्रकृति अत्यधिक प्रभावी और प्रधान हो, निरस्तीकरण के प्रयोजनों के लिए भिन्न आधार पर होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी अथवा इस प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न अपराध अथवा विवाह से उत्पन्न दहेज आदि से संबंधित अपराध अथवा पारिवारिक विवाद, जहाँ गलत कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके मत में अपराधी और पीड़ित के मध्य समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण और निराशाजनक है तथा आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना कराएगा और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण निपटारे तथा समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।"*
9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य**, (2017) 9 एस.सी.सी. 641 में अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि *"गैर-शमनीय मामलों में भी समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, ताकि न्यायालय के बहुमूल्य समय को बचाया जा सके और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में उसका उपयोग किया जा सके।"*
10. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में उनके मध्य लंबित कार्यवाही को वापस लेने के लिए सहमत हुए हैं। अभिलेखों तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि के परिशीलन से, वर्तमान मामला न्यायालय द्वारा समन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति के प्रयोग हेतु एक उपयुक्त मामला है।
11. विवाद पूर्णतः व्यक्तिगत प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसका पक्षकारों द्वारा अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए पारस्परिक रूप से निपटारा कर लिया गया है, अतः अभियोजन को अब और आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।



12. धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत निरस्तीकरण हेतु दाखिल वर्तमान आवेदन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831 वर्ष 2025, एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 11642 वर्ष 2019, दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।
13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपराधिक वाद संख्या 2730 वर्ष 2024 (पुराना आपराधिक वाद संख्या 1314 वर्ष 2021) (राज्य बनाम कपिल वर्मा एवं अन्य), अपराध संख्या 1981 वर्ष 2019, धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा डी.पी. एक्ट की धारा 3/4, थाना कवि नगर, जनपद गाजियाबाद से संबंधित, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, जनपद गाजियाबाद के न्यायालय में लंबित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।
14. वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

निशा